

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 433 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 अगस्त 2010—भाद्र 3, शक 1932

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. एफ 15-2-2010-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 54 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3002-1778-पन्द्रह-1-71, दिनांक 26 जून 1971 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 13 अगस्त 1971 को प्रकाशित हुई थी तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी अन्य अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है.

No. F 15-2-2010-XV-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 54 of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby rescinds this department's notification No. 3002-1778-XV-1-71, dated 26th June, 1971 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 13th August, 1971 and other notifications issued from time to time in this behalf.

क्र. एफ 15-2-2010-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 54 की उपधारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3-2003-पन्द्रह-1, दिनांक 18 सितम्बर, 2003 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में उसी दिनांक को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

(एक) अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“परन्तु राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को शीर्ष सहकारी सोसायटी द्वारा संधारित संवर्ग से भिन्न संवर्ग के किसी अधिकारी को नियुक्त करने की छूट दे सकेगी.”

No. F 15-2-2010-XV-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of Section 54 of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby makes the following amendment in this department's Notification No. F 5-3-2003-XV-1, dated 18th September, 2003 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) on the same date, namely:—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule,—

- (i) serial number 1 and entires relating thereto shall be omitted;
- (ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the State Government, may, by order, give relaxation to District Cooperative Agriculture and Rural Development Bank to appoint any officer other than the cadre maintained by Apex Cooperative Society.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज श्रीवास्तव, उपसचिव.